465/2025

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. फूलचन्द पुत्र कैलाश जाति अहीर निवासी बल्लूपूरा तहसील पाटन जिला सीकर राज0।

–प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार पाटन जिला सीकर राज.।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

मुकदमा नम्बर 465/2025
जीसीएमएस नं0 2025/052

आदेश

दिनांक 30.7.25

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार पाटन एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम बल्लूपूरा पटवार हल्का बल्लूपूरा तहसील पाटन के खाता संख्या 131 में प्रार्थी के पिता का गलत दर्ज नाम ''गोकुल पुत्र लालु'' के स्थान पर सही व वास्तविक नाम ''कैलाश चन्द पुत्र लालाराम'' दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रिपोर्ट तहसीलदार पाटन आदेश का भाग समझा जावें।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

मुद्रा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.11 17:53:01 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना